

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म0प्र0

92

विरुद्ध तिवारी

22/10/2012

व लक 22/10/12

मुक्त का बोध्य
उपर समाप्त

R-4416-J12

निगरानी प्रकरण क्रमांक : / 12

काजी शकीलउद्दीन आ०गुलाम मोहीनउद्दीन, वयस्क निवासी आगर, हाल मुकाम मोहल्ला अलीपुर, आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0

2- श्रीमती रफीका बी पुत्री काजी मसीउद्दीन विद्यवा सलीम खां, वयस्क निवासी आगर, तहसील आगर, जिला शाजापुर, म0प्र0 निगरानीकर्तागण

227

22/10/2012

// विरुद्ध //

ज्ञानी ०३०१२५-४८०१७
३१८८१६-११.१२.१२
का शूल

श्रीमती देव बाई पत्नी गंगाराम, जाति अहीर, वयस्क निवासी ग्राम परसूखेड़ी, तहसील आगर, जिला शाजापुर, म0प्र0

..... अनावेदिका

श्रीमानजी,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959. क्रमांक 12/अ-6/2011-2012 श्रीमती देव बाई विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 31.07.2012 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

11.12.12

४२

18/12/12

// निगरानी के तथ्य //

1- यह कि, अनावेदिका ने खसरा नंबर 111 में से रकबा 0.75 आरे स्थित ग्राम बांसखेड़ी, तहसील आगर जिला शाजापुर म0प्र0 के संबंध में विक्य पत्र के आधार पर नामान्तरण का आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय आगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर निगरानीकर्तागण ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तहसीलदार महोदय ने दिनांक 31.07.2012 को आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय में समयावधि में प्रस्तुत है एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

// विधि-आधार //

1- यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है।

2- यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्य पत्र एवं राजस्व अभिलेखों का सही मूल्यांकन नहीं किया है। अनावेदिका ने जिस रवाना जंतर जै ग्रन्तिंश्च में नामान्तरण का आवेदन किया है, वह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

(१२)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4416-एक/12

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०।।।१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४-४-१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(३)</p>	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>